

## कर राजस्व

कर राजस्व						(₹ करोड़)	
कर राजस्व			मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2015-2016	बजट 2016-2017	संशोधित 2016-2017	बजट 2017-2018
<b>1.</b>	<b>निगम कर</b>						
	1.01.	संग्रहण	0020	422770.27	428158.42	435943.07	475502.85
	1.02.	अधिभार	0020	17754.06	51379.01	43594.31	47550.29
	1.03.	शिक्षा उपकर	0020	12704.00	14386.12	14386.12	15691.59
	1.04.	विविध प्राप्तियां	0020	...	...	...	...
जोड़-निगम कर				453228.33	493923.55	493923.50	538744.73
<b>2.</b>	<b>आय पर कर</b>						
	2.01.	संग्रहण	0021	270312.15	328463.08	326463.10	412477.27
	2.02.	अधिभार	0021	1565.16	7650.00	7650.00	9347.50
	2.03.	शिक्षा उपकर	0021	8445.19	9662.60	9662.60	9662.60
	2.04.	कृषि कल्याण उपकर	0021	...	...	2000.00	2000.00
	2.05.	विविध प्राप्तियां	0021	...	...	...	...
	2.06.	बैंकिंग नकद लेन-देन कर	0036	...	...	...	...
	2.07.	प्रतिभूति लेन-देन कर	0034	7350.12	7398.00	7398.00	7767.90
	2.08.	होटल प्राप्ति कर	0023	0.59	...	...	...
	2.09.	व्याज कर	0024	5.31	...	...	...
	2.10.	अनुपंगी लाभ कर	0026	-45.82	...	...	...
	2.11.	आय तथा व्यय पर अन्य कर	0028	4.42	...	...	...
जोड़-आय पर कर				287637.12	353173.68	353173.70	441255.27
<b>3.</b>	<b>धन कर</b>						
	3.01.	संपदा शुल्क	0031	0.67	...	...	...
	3.02.	धन पर कर	0032	1078.59	...	...	...
	3.03.	उपहार कर	0033	...	...	...	...
जोड़-धन कर				1079.26	...	...	...
<b>4.</b>	<b>सीमा शुल्क</b>						
	4.01.	आयात शुल्क					
	4.01.01.	बुनियादी शुल्क	0037	59683.80	64729.00	63500.00	72150.00
	4.01.02.	अतिरिक्त सीमा शुल्क (सीवीडी)	0037	106249.48	116700.00	108000.00	122000.00
	4.01.03.	विशेष सीवी शुल्क	0037	30033.47	34000.00	31350.00	35250.00
	4.01.04.	मोटर स्पिरिट पर अतिरिक्त सीमा शुल्क	0037	0.18	...	...	...
	4.01.05.	हाई स्पीड डीजल तेल पर अतिरिक्त सीमा शुल्क	0037	1.71	...	...	...
	4.01.06.	मोटर स्पिरिट पर विशेष अतिरिक्त सीमा शुल्क	0037	0.18	...	...	...
	4.01.07.	राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता शुल्क	0037	1640.00	1550.00	1550.00	2500.00
	4.01.08.	शिक्षा उपकर	0037	3687.02	4150.00	3700.00	4200.00
	4.01.09.	माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकर	0037	1779.04	2075.00	1850.00	2100.00
जोड़-आयात शुल्क				203074.88	223204.00	209950.00	238200.00
	4.02.	निर्यात शुल्क	0037	900.80	850.00	600.00	650.00
	4.03.	निर्यात पर उपकर	0037	122.39	120.00	150.00	160.00
	4.04.	अन्य प्राप्तियां	0037	6239.93	5826.00	6300.00	5990.00
जोड़-सीमा शुल्क				210338.00	230000.00	217000.00	245000.00
<b>5.</b>	<b>केंद्रीय उत्पाद शुल्क</b>						
	5.01.	बुनियादी और विशेष उत्पाद शुल्क मोटर स्पिरिट और हाई स्पीड डीजल तेल पर उपकर को छोड़कर	0038	163635.07	173161.00	225750.00	240000.00
	5.02.	मोटर स्पिरिट पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क	0038	17300.65	19500.00	21800.00	22000.00
	5.03.	हाई स्पीड डीजल तेल पर अतिरिक्त उत्पाद	0038	52239.32	58500.00	59000.00	59250.00

कर राजस्व					(₹ करोड़)	
कर राजस्व	मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2015-2016	बजट 2016-2017	संशोधित 2016-2017	बजट 2017-2018	
	शुल्क					
5.04.	राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता शुल्क	0038	4050.00	4900.00	4900.00	7500.00
5.05.	मोटर स्पिरिट पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क	0038	18171.25	19000.00	21000.00	21300.00
5.06.	पान मसाला और तम्बाकू उत्पादों पर अधिभार	0038	1561.97	1190.00	3200.00	3400.00
5.07.	राजस्व विभाग द्वारा प्रशासित उपकर					
5.07.01.	शिक्षा उपकर	0038	46.83	...	...	...
5.07.02.	माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकर	0038	21.79	...	...	...
5.07.03.	कच्चे तेल पर उपकर	0038	14310.69	10303.03	13800.00	14000.00
5.07.04.	बीड़ी पर उपकर	0038	146.27	159.96	135.00	145.00
5.07.05.	चीनी पर उपकर	0038	1008.49	601.65	2800.00	3000.00
5.07.06.	आटोमोबाइल्स पर उपकर	0038	386.36	394.40	394.00	420.00
5.07.07.	अन्य	0038	392.59	141.76	221.00	235.00
5.07.08.	स्वच्छ पर्यावरण उपकर (पूर्ववर्ती स्वच्छ ऊर्जा उपकर)	0038	12675.60	26148.20	28500.00	29700.00
5.07.09.	अवसंरचना उपकर	0038	288.16	3000.00	4000.00	4050.00
जोड़-राजस्व विभाग द्वारा प्रशासित उपकर			29276.78	40749.00	49850.00	51550.00
5.08.	अन्य विभागों द्वारा प्रशासित उपकर					
5.08.01.	कोयला और कोक	0038	610.67	580.00	600.00	600.00
5.08.02.	नमक	0038	3.92	...	4.00	...
5.08.03.	रबड़	0038	100.23	110.00	130.00	130.00
5.08.04.	अन्नक	0038	2.73	...	3.14	...
5.08.05.	लौह अयस्क, मैंगनीज अयस्क एवं क्रोम अयस्क	0038	15.84	...	18.50	...
5.08.06.	लाइम स्टोन व डोलोमाइट	0038	30.83	...	17.65	...
5.08.07.	सिने कर्मकार	0038	1.93	...	2.09	...
5.08.08.	प्रदूषण (वायु एवं जल) से बचाव व नियंत्रण	0045	242.98	250.00	250.00	250.00
5.08.08.01.	व्यय के प्रति घटाई गई प्राप्ति	0045	-242.98	-250.00	-250.00	-250.00
निवल			...	...	...	...
5.08.09.	अनुसंधान और विकास	0045	914.81	800.00	950.00	980.00
5.08.10.	बीड़ी निधि	0038	146.27	170.00	140.00	190.00
5.08.11.	अन्य लेखों के अंतर्गत उपकर	0045	9.53	9.50	3.19	...
5.08.12.	टेक्सटाइल्स और टेक्सटाइल मशीनरी पर उपकर का संग्रहण	0038	1.09	...	0.01	...
निवल-अन्य विभागों द्वारा प्रशासित उपकर			1837.85	1669.50	1868.58	1900.00
निवल-केंद्रीय उत्पाद शुल्क			288072.89	318669.50	387368.58	406900.00
<b>6.</b>	<b>सेवा कर</b>					
6.01.	संग्रहण	0044	206150.09	216000.00	228000.00	252900.00
6.02.	शिक्षा उपकर	0044	917.26	...	...	...
6.03.	माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकर	0044	421.16	...	...	...
6.04.	स्वच्छ भारत उपकर	0044	3925.74	10000.00	12500.00	13300.00
6.05.	कृषि कल्याण उपकर	0044	...	5000.00	7000.00	8800.00
जोड़-सेवा कर			211414.25	231000.00	247500.00	275000.00
<b>7.</b>	<b>वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क</b>					
7.01.	बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर	0040	...	...	...	...
7.02.	अन्य कर	0045	...	...	...	...
जोड़-वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क			...	...	...	...
<b>8.</b>	<b>संघ राज्य क्षेत्रों के कर</b>					

कर राजस्व				(₹ करोड़)			
कर राजस्व		मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2015-2016	बजट 2016-2017	संशोधित 2016-2017	बजट 2017-2018	
8.01.	भू-राजस्व	0710	21.02	7.45	7.48	8.72	
8.02.	स्टाम्प और पंजीकरण	0710	159.96	174.10	174.66	189.73	
8.03.	राज्य उत्पाद शुल्क	0710	782.51	602.00	799.80	884.75	
8.04.	बिक्री कर	0710	2593.55	3094.00	3030.00	3300.00	
8.05.	वाहनों पर कर	0710	187.83	185.20	193.00	213.30	
8.06.	सामान और यात्रियों पर कर	0710	9.80	9.17	9.75	10.75	
8.07.	विजली पर कर और शुल्क	0710	22.96	18.00	23.00	25.00	
8.08.	अन्य कर और शुल्क	0710	100.63	31.16	39.47	47.21	
जोड़-संघ राज्य क्षेत्रों के कर			3878.26	4121.08	4277.16	4679.46	
<b>जोड़-कर राजस्व</b>			<b>1455648.11</b>	<b>1630887.81</b>	<b>1703242.94</b>	<b>1911579.46</b>	
<b>9.</b>	<b>घटाएं - राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया निधि को अंतरित एनसीसीडी</b>						
9.01.	आपदा अनुक्रिया (सीमा शुल्क)	0037	-1640.00	-1550.00	-1550.00	-2500.00	
9.02.	आपदा अनुक्रिया (केंद्रीय उत्पाद शुल्क)	0038	-4050.00	-4900.00	-4900.00	-7500.00	
निवल - घटाएं - राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया निधि को अंतरित एनसीसीडी			-5690.00	-6450.00	-6450.00	-10000.00	
<b>10.</b>	<b>घटाएं - राज्यों का हिस्सा</b>	0710	-506192.96	-570336.59	-594315.03	-674565.45	
<b>11.</b>	<b>घटाएं-वास्तविक के अनुसार राज्य के हिस्से का समायोजन</b>	0710	...	...	-13685.28	...	
<b>कुल जोड़</b>			<b>943765.15</b>	<b>1054101.22</b>	<b>1088792.63</b>	<b>1227014.01</b>	

उपर्युक्त विवरण में मोटे तौर पर 2017-18 के लिए कर प्राप्तियों के अनुमानों का सार है। इन अनुमानों में बजट प्रस्तावों का प्रभाव शामिल है। इसके अतिरिक्त खण्डों और लेखा शीर्षों के अनुसार ब्योरे के साथ-साथ बजट और संशोधित अनुमान, 2016-17 के बीच अन्तर तथा संशोधित अनुमान, 2016-17 और 2017-18 के बजट अनुमान के बीच अंतर नीचे दिए गए हैं। संविधान (अस्सीवां संशोधन) अधिनियम, 2000 के अनुसार, जिसे 1.4.1996 से भूतलक्षी प्रभाव से लागू किया गया, क्रमशः अनुच्छेद 268 और 269 में उल्लिखित शुल्कों और करों, अनुच्छेद 271 में उल्लिखित करों और शुल्कों पर अधिभार और संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून के अन्तर्गत विशेष उद्देश्य से लगाए गए किसी उपकर को छोड़कर, संघीय सूची में उल्लिखित सभी कर भारत सरकार द्वारा लगाए और संगृहीत किए जाएंगे और केन्द्र और राज्यों के बीच इस प्रकार संवितरित किए जाएंगे जैसाकि वित्त आयोग की सिफारिशों पर राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। 2015-2020 तक की अवधि के लिए, केन्द्र और राज्यों के बीच संवितरण का तरीका चौदहवें वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के बाद अपनाया गया है।

- निगम कर** : यह कर कम्पनियों की आय पर आयकर अधिनियम, 1961 के तहत लगाया जाता है। 2016-17 के लिए निगम कर का संशोधित अनुमान, 493923.55 करोड़ रुपए के बजट अनुमान की तुलना में 496923.50 करोड़ रुपए है। 2017-18 का बजट अनुमान 538744.73 करोड़ रुपए है।
- आयकर** : यह कर आयकर अधिनियम, 1961 के तहत कम्पनियों से भिन्न, व्यक्तियों, फर्मों आदि पर लगाया जाता है। इस शीर्ष में अन्य कर, मुख्यतया प्रतिभूति लेन-देन कर भी शामिल है जो स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध प्रतिभूतियों में और म्यूचुअल फंडों की यूनितों में किए गए लेन-देन पर लगाया जाता है। 2016-2017 की आय पर करों का संशोधित अनुमान, 353173.68 करोड़ रुपए के बजट अनुमान के मुकाबले, 353173.70 करोड़ रुपए है। 2017-18 के लिए बजट अनुमान 441255.27 करोड़ रुपए है।
- धन कर** : धन कर अधिनियम, 1957 के तहत, यह कर व्यक्तियों और कम्पनियों सहित कतिपय व्यक्तियों की विनिर्दिष्ट परिसम्पतियों पर लगाया जाता है।
- सीमा शुल्क** : 2016-2017 के लिए सीमा शुल्कों का संशोधित अनुमान, 230000 करोड़ रुपए के बजट अनुमान के मुकाबले, 217000 करोड़ रुपए है। 2017-18 का बजट अनुमान 245000 करोड़ रुपए है।
  - 4.01.01 बुनियादी शुल्क** : सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के तहत सीमा शुल्क का बुनियादी शुल्क आयातित माल पर लगाया जाता है।
  - 4.01.02 सीमा शुल्क का अतिरिक्त शुल्क (सीवीडी)** : सीमा शुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की धारा 3 के तहत, सीमा शुल्क का अतिरिक्त शुल्क ऐसे घरेलू विनिर्मित माल पर उद्ग्रहणीय उत्पाद शुल्क के समतुल्य होता है। केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की औसत सेनवेट दर 27.02.2010 से 8 प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत कर दी गई तथा 17.03.2012 से यह 10% से बढ़ाकर 12% कर दी गई थी। इसके अतिरिक्त, उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुओं पर शिक्षा उपकर तथा माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकर को 01.03.2015 से केंद्रीय उत्पाद शुल्क में सम्मिलित किया गया है तथा केंद्रीय उत्पाद शुल्क की मानक सेनवेट दर को उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुओं पर 12.5% पर तर्कसंगत किया गया था। तथापि, आयातित वस्तुओं पर शिक्षा उपकर तथा माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकर जारी रहेगा।
  - 4.01.03 विशेष सीवी शुल्क** : सभी आयातित माल पर बिक्री कर, वैट, स्थानीय कर या अन्यथा को प्रतिशतुलित करने के लिए विशेष सीवी शुल्क कुछ अपवादों के साथ 4 प्रतिशत की दर से उद्ग्रहणीय है।

**4.01.04 मोटर स्पिरिट पर सीमाशुल्क का अतिरिक्त शुल्क :** मोटर स्पिरिट पर सीमा शुल्क का अतिरिक्त शुल्क वित्त अधिनियम (सं. 2), 1998 द्वारा उद्ग्रहणीय होता है। इसे सामान्यतः सड़क उपकर के रूप में जाना जाता है।

**4.01.05 हाई स्पीड डीजल ऑयल पर सीमा शुल्क का अतिरिक्त शुल्क :** हाई स्पीड डीजल ऑयल पर सीमा शुल्क का अतिरिक्त शुल्क वित्त अधिनियम, 1999 द्वारा उद्ग्रहणीय होता है। इसे सामान्यतः सड़क उपकर के रूप में जाना जाता है।

**4.01.06 मोटर स्पिरिट पर सीमा शुल्क का विशेष अतिरिक्त शुल्क :** मोटर स्पिरिट पर सीमा शुल्क का विशेष अतिरिक्त शुल्क वित्त अधिनियम, 2002 द्वारा उद्ग्रहणीय होता है। इसे सामान्यतः अधिभार के रूप में जाना जाता है।

**4.01.07 राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता शुल्क :** वित्त अधिनियम, 2003 की धारा 134 के तहत राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता शुल्क आयतित बहु-प्रयोजन वाहन, पोलिस्टर फिलामेंट यार्न, दुपहियों पर लगाया जाता था। बाद में, यह कर मोटर कारों, पेट्रोलियम क्रूड, मोबाइल फोन आदि जैसी कतिपय विनिर्दिष्ट वस्तुओं पर भी लगा दिया गया। राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता शुल्क पोलिस्टर फिलामेंट यार्न से हटा दिया गया है और बजट 2008-09 से मोबाइल फोनों पर 1 प्रतिशत की दर से लगा दिया गया है।

**4.01.08 शिक्षा उपकर :** कुल सीमा शुल्क पर 2 प्रतिशत की दर से शिक्षा उपकर उद्ग्रहणीय है (सीमा शुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की धारा 8ख और 8ग, धारा 9 के तहत सीवीडी और धारा 9क के तहत डम्पिंग-रोधी शुल्क के तहत संरक्षण शुल्क को छोड़कर)। अंतरराष्ट्रीय वचनबद्धताओं के तहत आबद्ध दरों पर सीमा शुल्क लगाई जाने वाली वस्तुओं को इस उपकर से मुक्त रखा गया है।

**4.01.09 माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकर :** कुल सीमा शुल्कों पर 1 प्रतिशत की दर से माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकर उद्ग्रहणीय है।

**4.02 निर्यात शुल्क :** कुछ विनिर्दिष्ट मर्दों जैसे लोहा और क्रोमियम के अयस्कों और सान्द्रणों आदि के निर्यात पर निर्यात शुल्क लगाया जाता है।

बकाया संग्रहण : 2015-16 में बकाया सीमा-शुल्कों का वास्तविक संग्रहण 825.14 करोड़ रुपए था। संशोधित अनुमान 2016-17 तथा बजट अनुमान 2017-18 के लिए बकाया सीमा शुल्कों के संग्रहण के लिए क्रमशः 1000 करोड़ तथा 1000 करोड़ रुपए हैं।

**5. केन्द्रीय उत्पाद शुल्क :** 2016-2017 के लिए केन्द्रीय उत्पाद शुल्कों का संशोधित अनुमान, 318669.50 करोड़ रुपए के बजट अनुमान के मुकाबले, 387368.58 करोड़ रुपए है। 2017-18 का बजट अनुमान 406900 करोड़ रुपए है।

**5.01 बुनियादी और विशेष उत्पाद शुल्क मोटर स्पिरिट तथा हाईस्पीड आयल पर उपकर को छोड़कर :** केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्रशुल्क अधिनियम के तहत उत्पाद शुल्क और विशेष उत्पाद शुल्क केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1985 में विनिर्दिष्ट दरों पर लगाया जाता है। औसत सैनवैट दर को 27.02.2010 से 8 प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत तथा 17.03.2012 से 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 12 कर दिया गया था। इसके अतिरिक्त, उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुओं पर शिक्षा उपकर तथा माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकर को 01.03.2015 से केन्द्रीय उत्पाद शुल्क में सम्मिलित किया गया है था तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की मानक सैनवैट दर को 12.5% पर तर्कसंगत किया गया था।

**5.02 मोटर स्पिरिट पर उत्पाद शुल्क का अतिरिक्त शुल्क :** मोटर स्पिरिट पर उत्पाद शुल्क का अतिरिक्त शुल्क वित्त अधिनियम, (सं. 2) 1998 द्वारा लगाया जाता है। इसे सामान्यतः सड़क उपकर कहा जाता है।

**5.03 हाई स्पीड डीजल ऑयल पर उत्पाद शुल्क का अतिरिक्त शुल्क :** हाई स्पीड डीजल ऑयल पर उत्पाद शुल्क का अतिरिक्त शुल्क वित्त अधिनियम, 1999 के तहत लगाया जाता है। इसे सामान्यतः सड़क उपकर कहा जाता है।

**5.04 राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता शुल्क :** राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता शुल्क, पान मसाला तथा कतिपय विनिर्दिष्ट तम्बाकू उत्पादों पर वित्त विधेयक, 2001 के तहत लगाया जाता था। वित्त विधेयक, 2003 में उस लेवी को : (क) पोलिस्टर फिलामेंट यार्न, मोटर कार, दुपहिया तथा बहुउपयोगी वाहन पर 1 प्रतिशत की दर से, और (ख) कच्चे पेट्रोलियम तेल पर 50 रुपए प्रति मीट्रिक टन से लगाया जा रहा है।

**5.05 मोटर स्पिरिट पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क :** यह वित्त अधिनियम, 2002 के तहत लगाया है। इसे सामान्यतः अधिभार के रूप में जाना जाता है।

**5.06 पान मसाला तथा तम्बाकू उत्पादों पर अधिभार :** सिगरेट, पान मसाला, तथा कतिपय विनिर्दिष्ट तम्बाकू उत्पादों पर बजट 2005-06 में विनिर्दिष्ट दरों पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाया गया। बीड़ी पर यह नहीं लगाया जाता है।

**5.07.08 स्वच्छ पर्यावरण उपकर (पूर्ववर्ती स्वच्छ ऊर्जा उपकर) :** इसे वित्त अधिनियम, 2010 की धारा 83 के तहत भारत में निर्मित कच्चा कोयला, लिग्नाइट और पीट पर लगाया गया था। यह उपकर 1.7.2010 से प्रवृत्त हुआ है और इसे उत्पाद शुल्क के रूप में संग्रहित किया जाता है।

बकाया संग्रहण : 2015-16 में केन्द्रीय उत्पाद शुल्कों के बकायों का वास्तविक संग्रहण 1690 करोड़ रुपए रहा। केन्द्रीय उत्पाद शुल्कों के बकायों के संग्रहण संशोधित अनुमान 2016-17 और बजट अनुमान 2017-18 में क्रमशः 2000 करोड़ रुपए और 2500 करोड़ रुपए के हैं।

**6. सेवा कर :** वर्ष 2016-17 हेतु सेवा कर का संशोधित अनुमान, 231000 करोड़ रुपए के बजट अनुमान की तुलना में, 247500 करोड़ रुपए है। 2017-18 के लिए बजट अनुमान 275000 करोड़ रुपए का है।

कर योग्य सेवाओं पर शिक्षा उपकर तथा माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकर को सेवा कर में समाहित किया गया था जिसे 1.6.2015 से 14% पर तर्कसंगत बनाया गया है। इसके अतिरिक्त, 15.11.2015 से उन सभी सेवाओं पर 0.5 प्रतिशत की दर से स्वच्छ भारत उपकर लगाया गया है जो सेवाकर से छूट प्राप्त नहीं हैं अथवा अन्यथा सेवाकर योग्य नहीं हैं।

नकारात्मक सूची : 01.07.2012 से सेवाओं के कराधान की एक "नकारात्मक सूची" शुरू की गई है। इस सूची में निर्दिष्ट सेवाएं टैक्स नेट से बाहर रहेंगी। वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 93(1) में यथानिहित शक्तियों द्वारा विशिष्ट तौर पर छूट प्राप्त सेवाओं के अतिरिक्त अन्य सभी सेवाएं सेवा कर के दायरे में होंगी अर्थात् उन पर सेवाकर वसूला जाएगा।

बकाया संग्रहण : 2015-16 में सेवाकर बकायों का वास्तविक संग्रहण रु. 1564.75 करोड़ था। सेवाकर के बकाया संग्रहण संशोधित अनुमान 2016-17 तथा बजट अनुमान 2017-18 में क्रमशः 2000 करोड़ तथा 2500 करोड़ रुपए हैं।